A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

5/3/20 पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता वादी उप. आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेशिका 18/1/2018 से ही प्र.सं. 5 की तलबी में है। बार-बार न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने के बावजूद भी पुनः तलबाना पेश नहीं किया जाकर न्यायालय का वक्त जाया किया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक पक्ष को सुनना आवश्यक है अतः तलबाना पेश न करने के कारण पत्रावली अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो नकल से बाद की जावे दाखिल रिकार्ड हो। सुनाया गया। ह०

न्यायालय

1– रामकन्या पुत्री
(राज0)
2– हरकी पुत्री
(राज0)
3– शांति पुत्री
(राज0)

1– मोजीराम पुत्र
(राज0)
2– बृजमोहन पुत्र
(राज0)
3– हरिराज पुत्र
(राज0)
4– तहसीलदार जी
5– दी सैण्ट्रल को–

दावा बाबत

श्रीमान् जी,

वाद

1. यह कि

काश्त की आराजी

नम्बर 132 रकबा